खण्ड–19, अंक–8
मंगलवार, 19 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(10 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 19 में 8 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग	1–3
प्रश्नोत्तर	3–10
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	10–11
विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थत्यूड–कैम्टी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	11
सहसपुर वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत सेवला न्याय पंचायत के हरबन्स वाला में आई0टी0बी0पी0 द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	11–12
विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में लगातार वर्षा व भू–स्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायण बगड़ में विगत कई दिनों से निरन्तर हो रही वर्षा से भू–स्खलन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	13
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी के अन्तर्गत हरिद्वार चीला नीलकंठ मोटर मार्ग पर बी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	13–14
उत्तराखण्ड लोक आयुक्त का वर्ष 2005 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	14
उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ..	14–15
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	15–16
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें (स्वीकृत) ...	17–18
वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की मागों पर चर्चा एवं मतदान	19
अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग.........(स्वीकृत) ...	19
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग.............(स्वीकृत) ...	20
अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य.............(स्वीकृत) ...	20–21
अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें.............(स्वीकृत) ...	21

विषय			पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–01, विधान सभा.............	(स्वीकृत)	...	22
अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद्.............	(स्वीकृत)	...	22
अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन.............	(स्वीकृत)	...	23
अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग.............	(स्वीकृत)	...	23–24
अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग.............	(स्वीकृत)	...	24
अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग.............	(स्वीकृत)	...	25
अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण..........	(स्वीकृत)		25–26
अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण.......	(स्वीकृत)		26
अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग............	.(स्वीकृत)		26–27
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित एवं पारण)...			27–31
गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 (पारित)	...	...	31–36
उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव......(स्वीकृत)...	...	...	36
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	36
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव........(स्वीकृत)	...	...	37
राष्ट्रगान	...	...	37
नत्थी	...	...	38

''क''

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. मि0 कैरन हिल्टन
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह राणा
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड़
25. श्री दिनेश अग्रवाल
26. श्री दिवाकर भट्ट
27. श्री दिवान सिंह
28. श्री नारायण पाल
29. काजी मौ0 निजामुद्दीन
30. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31. श्री प्रकाश पन्त
32. श्री प्रणव सिंह
33. श्री प्रीतम सिंह
34. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37. श्री बलबीर सिंह नेगी
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री बंशीधर भगत
40. श्री बृज मोहन कोटवाल
41. श्री भगत सिंह कोश्यारी
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मयूख सिंह
44. श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूं भाई''
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री मुन्ना सिंह चौहान
47. श्री यशपाल आर्य
48. श्री यशपाल बेनाम
49. चौ यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. श्री राजकुमार
52. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55. श्रीमती वीना महराना
56. श्री शहजाद
57. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59. श्री सुरेन्द्र राकेश
60. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61. श्री सुरेश चन्द जैन
62. डा0 हरक सिंह रावत
63. श्री हरभजन सिंह चीमा
64. श्री हरिदास
65. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से सम्बन्धित मेरी नियम–310 की सूचना है। इसके लिए 80 करोड़ का बजट था, इसको घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, आज महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, जब तक सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, कोई कार्यवाही अंकित नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को 11:15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वाहन 11:15 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात को कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आज इस प्रदेश में महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है।.......

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपना--अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते और जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक माननीय सदस्यों की किसी भी बात को कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री यशपाल आर्य को छोड़कर सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के श्री नारायण पाल एवं श्री प्रेमानन्द महाजन ''वेल'' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय मौ0 शहजाद, हाजी तस्लीम अहमद, चौ0 यशवीर सिंह, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की है, जो प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में है। मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस सूचना को कल किसी अन्य नियम में उठायें।

दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री तिलक राज बेहड़, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री केदार सिंह रावत की है। यह सूचना अस्पष्ट है और इसका कोई निश्चित आधार नहीं है। यदि यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है तो आज मद संख्या–15 में पुलिस विभाग के अन्तर्गत बजट पर चर्चा होनी है, उसमें उसे उठा सकते हैं। मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री नारायण पाल की प्राप्त हुई है। जो जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर में उत्तरांचल फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज के बजट को कम किये जाने के सम्बन्ध में है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कल इसे किसी अन्य नियम में उठा लें। मैं इसे आज नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार, नहीं चलेगी–नहीं चलेगी आदि।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नत्थी ''क'' अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1, माननीय हाजी तस्लीम अहमद जी, कृपया प्रश्न पूछें।

(माननीय सदस्य प्रश्न उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते और जब तक सदन व्यवस्थित नही हो जाता, किसी भी माननीय सदस्य की बात को, कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

(''वेल'' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

देहरादून में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टरों का जल, रेता एवं बजरी के ढुलान हेतु अवैध संचालन

**1–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि देहरादून नगर में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टरों का उपयोग नगर में अवैध रूप से जल टैंकर तथा रेता बजरी के ढुलान के लिए किये जाने से नगर का यातायात कुप्रभावित हो रहा है ?

यदि हाँ, कृषि ट्रैक्टरों के अवैध संचालन के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

क्या विभाग ट्रैक्टर ट्राली तथा टैंकरों के अवैध संचालन पर तत्काल रोक लगायेगा ?

नोट–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रवर्तन कार्यवाही एक अनवरत प्रक्रिया है। विभाग द्वारा समय–समय पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थान, अस्पताल एवं चैरीटेबिल संस्थाओं में विद्युत दरों में छूट का औचित्य एवं आधार

**2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के वर्ष 2003 के प्रथम सत्र के शुक्रवार (दिनांक 04–04–2003) के अल्प सूचित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001–2003 में मै0 जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि0 के अतिरिक्त किन–किन निजी शिक्षण संस्थाओं, निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों की बिलिंग तत्समय प्रवृत्त रेट शेड्यूल एल0एम0वी0–4 पर की गयी है ?

इन व्यावसायिक संस्थाओं को विद्युत दरों में छूट का औचित्य एवं आधार क्या था ?

क्या इस औचित्य एवं आधार पर प्रदेश की अन्य समनुरूप संस्थाओं को भी छूट प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

संलग्न–यथोपरि।

सूची संलग्न है (संलग्नक–1)

तत्कालीन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस श्रेणी हेतु तत्समय निर्धारित दरों के आधार पर।

जी नहीं।

वर्तमान में उक्त उपभोक्ता श्रेणी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में पृथक वर्णित नहीं है तथा इस श्रेणी के शैक्षिक संस्थान, अस्पताल एवं चैरिटेबिल संस्थाओं को आर0टी0एस0–2 श्रेणी (गैर घरेलू) के अनुसार दर अनुमन्य किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 38 पर)

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में समूह 'ग' के कार्यरत उ0प्र0 के मूल निवासी विकल्पधारियों कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त

*1—हाजी तस्लीम अहमद—

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सभी विभागों में समूह 'ग' के कार्यरत, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी विकल्पधारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है और कितने शेष है ? क्या सरकार शेष कर्मचारियों को जिन्होंने अपना विकल्प उत्तर प्रदेश का दिया है कार्यमुक्त करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

जी हाँ।

कुल 88 कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाना शेष है, जिनमें से पुलिस विभाग के कतिपय कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के कारण दिनांक 30 अप्रैल, 2008 तक कार्यमुक्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ स्थित उत्तराखण्ड पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उन पर व्यय

*1—श्री ओम गोपाल—

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ स्थित विकास भवन में उत्तराखण्ड पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त है ?

इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधा कार्यालय वाहन आदि पर प्रतिमाह कुल कितना खर्चा आता है ?

क्या सरकार बतायेंगी कि वर्ष 2001 से 31 मई, 2007 तक कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों पर कुल कितना खर्चा आ चुका है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पुनर्गठन विभाग सचिवालय उत्तराखण्ड द्वारा कार्मिक/परिसम्पत्तियों का अन्तिम आवंटन का कार्य किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो अब लखनऊ में पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय का क्या औचित्य है ? क्या सरकार कार्यालय को तत्काल बन्द करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय में कुल 13 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात है।

पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर औसत प्रतिमाह व्यय रु0 89026.00 है।

वर्ष 2001 से 31–5–2007 तक पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वेतन भत्ते आदि पर कुल व्यय रु0 66,76,978.00 आ चुका है तथा वेतन भत्ते के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मदों, जिसमें यात्रा व्यय, मजदूरी, मानदेय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, मशीन साज सज्जा/उपकरण संयत्र, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अन्य व्यय एवं अवकाश यात्रा व्यय के मदों पर कुल व्यय रु0 30,01,567.00 हो चुका है। इस प्रकार उपर्युक्त मदों पर कुल व्यय रु0 96,78,545.00 हुआ है।

राज्य स्तरीय 104 विभागों/सेवा संवर्गों का अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। 10 विभागों/संवर्गों के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन एवं कतिपय विभागों की परिसम्पत्तियों का विभाजन अभी शेष है।

आवंटन बिन्दुओं पर योजित मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के विचाराधीन प्रकरणों के अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश शासन के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु लखनऊ स्थित पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय की आवश्यकता है, इसे तत्काल बन्द करने की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री ओम गोपाल– दिनांक 09–07–2007 को अतारांकित प्रश्न संख्या–29 द्वारा उत्तरित

जनपद टिहरी, विकास खण्ड नरेन्द्र नगर के मुख्यालय फकोट में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड किये जाने पर विचार

2–श्री ओम गोपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्र नगर का मुख्यालय फकोट पूरे ब्लाक का केन्द्र है ?

क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर यहाँ मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ?

क्या मंत्री जी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड कर यहाँ पैथोलौजी, एक्स–रे की स्थापना, महिला चिकित्सक, बालरोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हाँ।

जी हाँ।

स्थान फकोट से 10 किमी0 की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाड़ी के भवन निर्माण हेतु गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृति दी गयी है। भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी, जिससे फकोट के क्षेत्रवासियों को भी स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में चार धाम यात्रा के स्थान पर हेमकुण्ड एवं नानकमत्ता साहब तथा कलियर शरीफ को सम्मिलित कर सात धाम यात्रा की घोषणा का प्रस्ताव

3–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या तीर्थाटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश में चार धाम यात्रा हेतु की गई व्यवस्थाओं को चार धाम के स्थान पर सात धाम यात्रा घोषित करते हुए उत्तराखण्ड के सिक्ख समुदाय के हेमकुण्ड साहब एवं नानकमत्ता साहब तथा मुस्लिम समुदाय के कलियर शरीफ (रुड़की) को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा शासनादेश कब तक जारी किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

धार्मिक यात्रा की घोषणा से सम्बन्धित कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। पर्यटकों/यात्रियों के लिए आवश्यकतानुरूप विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

जनपद टिहरी के नरेन्द्र नगर अन्तर्गत आगराखाल को पर्यटक स्थल के रूप में विकास

4—श्री ओम गोपाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत आगराखाल को पक्षी वन विहार एवं खाड़ी में महादेव जल प्रपात व सती का डांडा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त—

उक्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत पुरोला, मोरी, नौगाँव स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय प्रा0 स्वा0 केन्द्र राज0 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डॉक्टर व फार्मासिस्ट की तैनाती

5—श्री राजेश जुवांठा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला, विकास खण्ड मोरी, पुरोला व नौगाँव के एलोपैथिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर व फार्मासिस्ट न होने के कारण आम जनता को प्राथमिक उपचार के लिए देहरादून के अस्पतालों में जाना पड़ता है ?

क्या यह भी सत्य है कि आज भी कई चिकित्सालयों में स्टाफ न होने के कारण ताले लटके हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कोई कदम उठा रही है ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

जनपद उत्तरकाशी में विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी, पुरोला व नौगाँव में स्थापित एलोपैथिक चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में प्राथमिक उपचार हेतु चिकित्साधिकारी/फार्मासिस्ट तैनात है। वर्तमान में मात्र विकास खण्ड नौगाँव के अन्तर्गत 05 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद रिक्त है किन्तु इन स्थानों पर फार्मासिस्ट तैनात है। इसी प्रकार विकास खण्ड मोरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र, आराकोट में तथा राजकीय एलो0 चिकि0 नैटवाड में चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्ट के पद रिक्त है। उक्त चिकित्सालयों में वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालयों के अतिरिक्त 17 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी स्थापित है, जिनमें चिकित्साधिकारी/फार्मासिस्ट तैनात है।

जी नहीं।

लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों के चयनोपरान्त ऐसे चिकित्साधिकारी विहीन अस्पतालों में यथा सम्भव चिकित्सकों की तैनाती की जा सकेगी।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 पुरोला, मोरी एवं नौगाँव स्थित भ्राडसर, सरूताल आदि पर्यटक स्थलों का विकास

6–श्री राजेश जुवांठा–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड मोरी में भ्राडसर, केदारकांठा, देवक्यारा, बुग्याल, हरकीदून व विकास खण्ड नौगाँव में सरूताल, भुजेलाताल आदि पर्यटक स्थल है ?

यदि हाँ, तो सरकार इनके विकास के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी, पुरोला, नौगाँव क्षेत्र में इनके पर्यटन महत्व के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों में निम्न स्थलों के विकास/सम्पर्क मार्ग/ट्रैक निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है :–

1. हरकीदून से पवानी घराट, मांझीगडी यमुनोत्री तक ट्रैक मार्ग का निर्माण।
2. नैटवाड से भ्राडसर ताल तक ट्रैक मार्ग का सुधार।
3. फिताडी से भ्राडसर ताल ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्धार, ओसला से हरकीदून ट्रैक मार्ग जीर्णोद्धार।
4. सौड केदार कांठा पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण/विकास।
5. ओसला से हरकीदून मार्ग से मैलदड़ू झील तक पर्यटक मार्ग का जीर्णोद्धार।
6. जरमोला केदार कांठा का पर्यटन विकास।
7. साचण–सरूताल ट्रैक मार्ग का निर्माण।

इनमें से कुछ निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व कुछ पर कार्य प्रगति पर है।

रुड़की स्थिति स्वा0 सामु0 केन्द्र, भगवानपुर में स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टर की तैनाती

7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र, भगवानपुर में स्वीकृत पद के अनुसार डाक्टर तैनात है ?

क्या मंत्री जी अवगत है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी भगवानपुर के विरुद्ध कोई शिकायत दिनांक 25–5–2007 को मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार को प्राप्त हुई है ?

यदि है, तो उक्त शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत 08 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्साधिकारी तैनात है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12:20 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर तथा बसपा के समस्त सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री खजान दास, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री करन मेहरा, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरिदास और श्री गोविन्द लाल शाह की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं सभी सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर तथा बसपा के समस्त सदस्य "वेल" में खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने और नारे लगाने लगे "महिलाओं का शोषण बन्द करो, बन्द करो, भाजपा शर्म करो–शर्म करो, महिलाओं का उत्पीड़न बन्द करो–बन्द करो, जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी, और आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। माननीय खजान दास जी, आप अपनी सूचना पढ़ें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़–कैम्टी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

मान्यवर, थत्यूड़–कैम्टी मोटर मार्ग के सन्दर्भ में अवगत करवाना है कि "पहाड़ों की रानी" के नाम से विश्व प्रसिद्ध मसूरी से लगा हुआ पट्टी छैजुला क्षेत्र धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत आता है। उक्त मोटर मार्ग की माँग स्थानीय जनता के द्वारा वर्षों पूर्व से की जा रही है क्योंकि आज भी जनता को 30–30 किलोमीटर पैदल चलकर मसूरी, कैम्टी, थत्यूड़ आना पड़ता है। उक्त मोटर मार्ग के बनने से 25 गाँवों को सीधा–सीधा आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

अतः जनहित में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुये। अतः सूचना अस्वीकार हुई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सहसपुर वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत सेवला न्याय पंचायत के हरबन्स वाला में आई0टी0बी0पी0 द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

मान्यवर, जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के सेवला न्याय पंचायत के अन्तर्गत हरबन्स वाला में आई0टी0बी0पी0 द्वारा ग्राम सभा की कई एकड़ भूमि पर

*वक्ताओ ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतिक्रमण किये जाने से सम्बन्धित ग्राम सभा निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बरसात के दिनों में पुराना नाला नामक जगह पर आई0टी0बी0पी0 द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो कि हमेशा बहता रहता था उसे बन्द कर दिया गया है, जबकि नक्शे में आज भी पुराना नाला वहीं पर दर्शाया हुआ है, जहाँ वह पहले बह रहा था। पुराना नाला बन्द होने से बरसात के दिनों में सड़क में भारी जल भराव हो जाता है तथा बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। साथ ही आस–पास के लगभग 100 परिवारों के घरों के अन्दर भारी मात्रा में जल भराव होने से प्रभावित परिवारों को जान–माल का खतरा हो जाता है तथा प्रभावित परिवार बरसात के दिनों में अपने ही घरों के अन्दर न तो खाना बना सकते हैं, न ही वहाँ रह सकते हैं, जिससे बीमार व्यक्ति की देख–रेख भी नहीं हो पाती है, व छोटे बच्चों को भी कई बीमारियां हो जाती हैं। अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में लगातार वर्षा व भू–स्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम सभा छिनका, इशाला, पिल्लू सहित कई क्षेत्रों में लगातार बारिश व भू–स्खलन से गौशालाएं बह गयी है तथा गौशालाओं में रह रहे पशुओं की मलबे में दबने से मौत हो गयी है। इसी तरह विकास खण्ड अगस्त्यमुनि तथा विकास खण्ड ऊखीमठ में पिछले कई वर्षों से भू–स्खलन होता रहा है। साथ ही भारी जन–धन की हानि हुई है। क्षेत्रीय जनता ने कई बार इन विकास खण्डों को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग शासन–प्रशासन के सामने रखी है। लेकिन आज तक इस दिशा में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री करन मेहरा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए। अतः सूचना अस्वीकार हुई।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरिदास का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए। अतः सूचना अस्वीकार हुई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायण बगड़ में विगत कई दिनों से निरन्तर हो रही वर्षा से भू–स्खलन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोविन्द लाल–

[महोदय, जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायण बगड़ बाजार एवं थराली बगड़ में विगत कई दिनों से निरन्तर बरसात के कारण भू–स्खलन हो रहा है, जिस कारण बाजार एवं आवासीय भवनों में मलबा आ रहा है, तथा स्थानीय लोगों का वहाँ पर रहना दूभर हो रहा है, साथ ही जल निकासी न होने से आए दिन स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे स्थानीय जनता एवं बाजार के व्यापारियों में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी के अन्तर्गत हरिद्वार चीला नीलकंठ मोटर मार्ग पर बी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत हरिद्वार चीला नीलकंठ मार्ग में बी नदी है, बी नदी में भूतल में सिंचाई विभाग की नहर है, नहर के ऊपर से नदी बह रही है। बरसात में यह नदी बहुत उफान पर हो जाती है, सावन के महीने में कांवड़ मेला हरिद्वार व नीलकंठ में लगता है। लाखों लोग नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए इस मोटर मार्ग से जाते हैं और साथ ही 25–30 ग्रामों के ग्रामवासियों को भी इसी मोटर मार्ग से स्कूल, अस्पताल एवं बाजार जाना पड़ता है, लेकिन बरसात के दिनों में इस मोटर मार्ग से आना जाना बन्द सा रहता है। इस मार्ग के निर्माण हेतु कई बार ग्रामवासी आन्दोलन एवं सरकार से पुल निर्माण हेतु कई बार अनुरोध कर चुकी है। लेकिन अभी तक हरिद्वार चीला नीलकंठ मोटर मार्ग पर बी नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः इस तात्कालिक, अविलम्बनीय, लोकमहत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूँ।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए अतः सूचना अस्वीकार हुई।)

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सूचना पढ़ने के लिए खड़े नहीं हुए अतः सूचना अस्वीकार हुई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक आयुक्त का वर्ष 2005 का प्रतिवेदन

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड का दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान)

उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007

*पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण ''वेल'' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे। लोकतंत्र की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, लाठी डण्डों की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य मो0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, चौ0 यशवीर सिंह एवं श्री हरिदास जी की है, दूसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन जी की है, तीसरी सूचना डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल एवं श्री तिलकराज बेहड़ जी की है, चौथी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल एवं श्री रणजीत सिंह रावत जी की है, पांचवी सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी की है, छठी सूचना काजी मौ0 निजामुद्दीन जी की है तथा सातवीं सूचना श्री नारायण पाल जी की कुल 07 सूचना प्राप्त हुई है। मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकर कर रहा हूँ।

अब मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्हन 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्नीय नेता बहुजन समाज पार्टी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि नियम–310 की सूचना अग्राह्य हो चुकी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, कानून व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त रहे जिससे लोग अपना जीवन–यापन कर सकें, महिलायें अपने घर में सुरक्षित रह सकें, अभी नियम–310 में नोटिस दी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक जी, सूचना अग्राह्य हो चुकी है, आप मद संख्या–15 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–10 में अपनी बात को बड़े विस्तार से कह सकते हैं और आप चाहते हैं कि हाऊस न चले तो दूसरी बात है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य ''वेल'' में आकर नारे लगाने लगे–युवा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, अल्पसंख्यक विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप की जो महत्वपूर्ण सूचनायें थी, तारांकित और अतारांकित के कई प्रश्नों में आप भाग लेते हैं, महत्वपूर्ण विषय प्रदेश के सामने आते हैं और जिस विषय पर बात करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है। आप अनुदान संख्या–10 में बात क्यों नहीं करते? आपका मकसद यह है कि हाऊस न चले। प्रदेश की जनता हमारी और देख रही है, सदन की ओर देख रही है, अरबों रुपये की मांग हैं और इस हल्ले–गुल्ले में अरबों रुपये की मांगों को पारित कराना है तो ठीक है। आप अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, अल्प कोटे की बात करना ही नहीं चाहते है। आपके पास अनुदान है जिस पर चर्चा हो सकती है और आप नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार चर्चा से बचना चाहती है।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष–

आज कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 जुलाई, 2007 की बैठक में दिनांक 17 जुलाई तक के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई, 2007
10 मंगलवार

1. विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)

जुलाई, 2007
17, मंगलवार

2. असरकारी कार्य

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा–

1. श्री सुरेन्द्र राकेश — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका डिग्री कालेज तथा न्याय पंचायत स्तर पर बालिका इण्टर कालेज स्थापित किये जाने हेतु आय–व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाये"।

2. काजी मौ0 निजामुद्दीन — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से हटाकर सुविधाजनक केन्द्रीय स्थल पर स्थापित की जाये"।

3. श्री खजान दास — "इस सदन का सुविचारित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल व जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार भावर (जनपद देहरादून) की तरह जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाये"।

3. नियम–105 की निम्नलिखित सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

1. श्री किशोर उपाध्याय — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि संस्कृत भाषा को उत्तराखण्ड प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाये"।

2. श्री गगन सिंह रजवार "जपपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली, विलुप्त होने के कगार पर खड़ी आदिम जनजाति के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु प्रत्येक परिवार को तराई भाबर में पाँच एकड़ भूमि आवंटित किये जाने और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में"।

3. श्री हरभजन सिंह चीमा "इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि प्रदेश में मैदानी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घास–फूस से बनी झोपड़ियों में बस रहे परिवारों के छप्परों में अग्निकाण्ड से होने वाली क्षति से प्रभावित परिवारों को क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर सुनिश्चित राहत राशि जिलाधिकारी द्वारा 24 घण्टे में स्वीकृत करते हुए भुगतान किया जाये"।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण पूर्ववत् "वेल" में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, वह मद संख्याः–15 के अन्तर्गत रख सकते हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्यय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2762152 हजार (दो सौ छिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

इसका मतलब तो यह हुआ है कि प्रतिपक्ष सिर्फ हल्ला–गुल्ला करना चाहता है। मैं आपको इस मद के अन्तर्गत बात रखने का अवसर दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखिये।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हमारी नियम–310 के अन्तर्गत सूचना थी, जिस पर हमने चर्चा की मांग की थी, क्या आप उस पर हमें सुन रहे है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह सूचना मैंने अस्वीकार कर दी है आप अनुदान संख्या–15 (1) के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनरशि के अतिरिक्त रुपये 2762152 हजार (दो सौ छिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(''वेल'' में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे–''महिलाओं का उत्पीड़न बन्द करो–बन्द करो।'' ''महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'' ''समाज विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।'')

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2222966 हजार (दो सौ बाईस करोड़ उन्तीस लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2222966 हजार (दो सौ बाईस करोड़ उन्तीस लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5544336 हजार (पाँच सौ चौवन करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ? माननीय शहजाद जी, कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5544336 हजार (पाँच सौ चौवन करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें

*सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2038952 हजार (दो सौ तीन करोड़ नवासी लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ? माननीय शहजाद जी, कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ? आपने जो नियम–310 की सूचना दी थी, यद्यपि वह अस्वीकृत हो चुकी है। अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित है। यह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है, महिलाओं से सम्बन्धित है, विकलांगों से सम्बन्धित है। इस पर कटौती के प्रस्ताव में आप अपनी बात कह सकते हैं। कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते है ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

श्री अध्यक्ष–

इसका मतलब आप अपनी बात कहना ही नहीं चाहते है। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2038952 हजार (दो सौ तीन करोड़ नवासी लाख बावन हजार मात्र) से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे : नियम–310 में चर्चा कराओ–चर्चा कराओ, महिलाओं का अपमान बन्द

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करो–बन्द करो, सत्ता के बल पर महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो–बन्द करो, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, समाज विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–01 विधान सभा

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 92597 हजार (नौ करोड़ पच्चीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 92597 हजार (नौ करोड़ पच्चीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद्

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 471273 हजार (सैंतालीस करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 471273 हजार (सैंतालीस करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 369281 हजार (छत्तीस करोड़ बानवे लाख इक्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 369281 हजार (छत्तीस करोड़ बानवे लाख इक्यासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 53449 हजार (पाँच करोड़ चौंतीस लाख उनचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश के इस ज्वलंत प्रश्न पर हम नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग कर रहे है, आज प्रदेश में महिलायें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश है।

श्री अध्यक्ष–

आपको मैंने पर्याप्त अवसर दिया है, इसका अर्थ है कि आप कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहते है।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 53449 हजार (पाँच करोड़ चौंतीस लाख उनचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे : महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, महिलाओं का उत्पीड़न बन्द करो–बन्द करो, युवा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 869999 हजार (छियासी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 869999 हजार (छियासी करोड़ निन्यानवें लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–14 सूचना विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 91329 हजार (नौ करोड़ तेरह लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 91329 हजार (नौ करोड़ तेरह लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4555660 हजार (चार सौ पचपन करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4555660 हजार (चार सौ पचपन करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1156553 हजार (एक सौ पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1156553 हजार (एक सौ पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 432395 हजार (तैंतालीस करोड़ तेईस लाख पंचानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 432395 हजार (तैंतालीस करोड़ तेईस लाख पंचानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायें।

(प्रतियाँ वितरित की गई)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007

(विधेयक संख्या– वर्ष 2007)

31 मार्च, 2008 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की संचित निधि के कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठानवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2007 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2007–2008 के लिए रु0 111282278000.00 दिया जाना

2–उत्तराखण्ड की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2007 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2007) की अनुसूची के स्तम्भ–7 से 10 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके रुपये 111282278000.00 (ग्यारह हजार एक सौ अट्ठाइस करोड़ बाईस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01—	विधान सभा	राजस्व	107757	7788	115545
		पूँजी	20000		20000
02—	राज्यपाल	राजस्व		28030	28030
		पूँजी		0	0
03—	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	569111		569111
		पूँजी	0		0
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	474519	127942	602461
		पूँजी	100000		100000
05—	निर्वाचन	राजस्व	131210		131210
		पूँजी	0		0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2795880	9716	2805596
		पूँजी	465100		465100
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय	राजस्व	11534646	12624248	24158894
	तथा अन्य सेवायें	पूँजी	1392001	4951594	6343595
08—	आबकारी	राजस्व	47856		47856
		पूँजी	1000		1000
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व		41914	41914
		पूँजी			0
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	3465608		3465608
		पूँजी	497600		497600
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण	राजस्व	16203613		16203613
	तथा संस्कृति	पूँजी	1135500		1135500
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3617372		3617372
		पूँजी	1522921		1522921
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	4527688		4527688
		पूँजी	45002		45002
14—	सूचना	राजस्व	143546		143546
		पूँजी	0		0
15—	कल्याण योजनायें	राजस्व	2635230		2635230
		पूँजी	105763		105763

1	2			3	
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	631561		631561
		पूँजी	109530		109530
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2230120		2230120
		पूँजी	60200		60200
18–	सहकारिता	राजस्व	182720		182720
		पूँजी	110000		110000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	2960059		2960059
		पूँजी	762900		762900
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1854104		1854104
		पूँजी	4238128		4238128
21–	ऊर्जा	राजस्व	152849		152849
		पूँजी	3674407		3674407
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3187675	40479	3228154
		पूँजी	6317901		6317901
23–	उद्योग	राजस्व	540490		540490
		पूँजी	687312		687312
24–	परिवहन	राजस्व	299994		299994
		पूँजी	644721		644721
25–	खाद्य	राजस्व	317417		317417
		पूँजी	97430		97430
26–	पर्यटन	राजस्व	271225		271225
		पूँजी	406500		406500
27–	वन	राजस्व	2551435		2551435
		पूँजी	257002		257002
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	564671		564671
		पूँजी	66544		66544
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	643785	2648	646433
		पूँजी			0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4390965		4390965
		पूँजी	2071099		2071099
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	809958		809958
		पूँजी	816294		816294
	योग–	राजस्व	67843064	12882765	80725829
		पूँजी	25604855	4951594	30556449
	महायोग		93447919	17834359	111282278

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007

पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड गो–वंश विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–14, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2007)

उत्तराखण्ड में गाय एवं गाय के वंश संरक्षण के लिए विधेयक–

भारतीय गणतन्त्र के 58वें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा प्रसार–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

2—परिभाषायें—

इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "गो—मांस" से गो—वंश का मांस अभिप्रेत है,

(ख) "गो—वंश" में गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है,

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विहित नियम अभिप्रेत है,

(घ) "वध" से किसी ढंग द्वारा चाहे जो भी हो, मारना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी शरीरिक चोट पहुँचाना व अपंग करना अथवा विष देना सम्मिलित है, जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करेगा,

(ङ) "सक्षम अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाय,

(च) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(छ) "अलाभकार गाय" से भटकती हुई दुर्बल, अक्षम रुग्ण अथवा वन्धया गया अभिप्रेत है,

(ज) "स्वतन्त्र/आवारा विचरण" से शहरी क्षेत्र में विचरण अभिप्रेत है,

(झ) ""शहरी क्षेत्र" से नगर निगम/नगर पालिका के क्षेत्र अभिप्रेत है,

3—गो वध प्रतिषेध—

तत्समय किसी विधि में कोई बात प्रतिकूल रुढि अथवा प्रथा के होते हुए भी—

(1) कोई व्यक्ति,

(क) गाय का या

(ख) गो—वंश का न तो वध करेगा और न ही वध करायेगा, ना ही ऐसा प्रस्ताव करेगा, ना ऐसा प्रस्ताव करायेगा।

4—रोगी अथवा आहत गो—वंश के सम्बन्ध में धारा—3 का लागू न होना—

(1) धारा—3 की कोई ऐसी बात किसी ऐसे गो—वंश पर लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित—

(क) किसी असाध्य एवं पीड़ाजनक परिस्थिति में हो, अथवा

(ख) ऐसे सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग से ग्रस्त हो, जिसके संक्रमण से पशुधन के साथ—साथ मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपधारा (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में असाध्य एवं पीड़ाजनक स्थिति अथवा सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग के सम्बन्ध में स्थानीय प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निस्तारित पशु के शव का निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

5–गोमांस कब्जे में रखने एवं बेचने का प्रतिषेध–

किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गोमांस अथवा तद्सम्बन्धी पदार्थ को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न तो कब्जे में रखेगा, न ही बेचेगा, न परिवहन करेगा, न बेचने अथवा परिवहन के लिए प्रस्तावित करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

6–गो–वंश के परिवहन का विनियमन–

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर, किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्र और उसमें उपबन्धित निबन्धन और शर्तों के अनुसार गो–वंश का वध जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, का न तो परिवहन, न परिवहन करने के लिए प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सक्षम अधिकारी उपधारा (3) के प्राविधान का अनुपालन के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने पर प्रत्येक गो–वंश के लिए 500 रुपये शुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञापत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा केवल गो–वंश के पालन, संरक्षण अथवा संबर्द्धन के लिए प्रदान की जा सकेगी।

(4) अनुज्ञा और उसके लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप तथा आवेदन–पत्र के लिए निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सक्षम अधिकारी इस धारा के अधीन की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ किसी समय किसी मामले के अभिलेख को परीक्षण हेतु मांग सकता है और उस पर ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझें।

7—स्वतन्त्र विचरण का प्रतिषेध—

कोई व्यक्ति—

(क) गो—वंश को आवारा नहीं छोड़ेगा,

(ख) गाय को दुहने के पश्चात् स्वतन्त्र विचरण नहीं करने देगा।

8—शहरी क्षेत्र में गो—वंश का पंजीकरण—

शहरी क्षेत्र में गो—वंश का पालन के लिए सम्बन्धित नगर के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से गो—वंश के पंजीकरण का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा रेडियों फ्रिक्वेन्सी पहचना अथवा इससे बेहतर किसी तकनीक से, जैसी राज्य सरकार नियत करे, प्रत्येक गो—वंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

9—संस्थाओं की स्थापना—

राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्था अलाभकार गायों की देखरेख के लिए आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकेगी,

परन्तु यह कि गैर सरकारी संगठनों को संस्थायें स्थापित करने से पूर्व सूचना विहित प्रारुप पर जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को देनी होगी।

10—अधिभार अथवा शुल्क का उद्ग्रहण—

राज्य सरकार या गैर सरकारी संस्था, संस्थाओं में अलाभकार गायों को रखने के निमित्त ऐसा अधिभार अथवा शुल्क उद्ग्रहीत कर सकती है, जैसा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से संस्था द्वारा नियत किया जाय।

11—शास्ति—

(1) जो कोई धारा—3 अथवा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने को दुष्प्रेरित करता है, तो वह कठोर कारावास, जो न्यूनतम तीन वर्ष एवं अधिकतम दस वर्ष तक का हो सकेगा एवं जुर्माना, जो न्यूनतम पाँच हजार रुपये एवं अधिकतम दस हजार रुपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा—6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माना, जो न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अधिकतम दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति गो—वंश तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई धारा—7 एवं 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह साधारण कारावास, जो न्यूनतम एक सप्ताह एवं अधिकतम एक माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

12–अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा–

दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा–11 की उपधारा (1) व (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे।

13–नियम बनाने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :–

(क) धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन पशु के शव के निस्तारण की रीति,

(ख) धारा–6 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञापत्र का प्रारूप तथा आवेदन–पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया,

(ग) धारा–8 के अधीन सक्षम अधिकारी के कृत्य और शक्तियां तथा उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) धारा–9 में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान, रखरखाव, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध विषय, और

(ङ) अन्य कोई विषय जो विहित किये जाय।

14– निरसन और व्यावृत्ति–

(1) उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1956) (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन वाद अथवा कार्यवाही जो लम्बित एवं जारी है, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद भी जारी रहेगी और निरसित अधिनियम की उपबन्धों के अधीन इस प्रकार निस्तारित की जायेगी जैसे कि यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–14, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज की जो कार्यसूची हमें प्राप्त हुई है, उसमें अनूपूरक कार्यसूची नहीं थी। इस कार्यसूची के माध्यम से सरकार जानबूझ कर इस विधेयक को, जो कि कार्यसूची में नहीं था, सदन में ला रही है। सरकार चर्चा से बचना चाह रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

श्रीमन्, यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। राज्य की पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित है। विगत 100 साल के बाद राज्य का अपना पुलिस अधिनियम बनने जा रहा है इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि यह संख्या बल के आधार पर पारित किया जाए। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को सात सदस्यीय प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो तीन माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति के सदस्यों के नाम–निर्देशन के लिए माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करें। उक्त विधेयक हेतु गठित प्रवर समिति के सदस्यों के नाम–निर्देशन हेतु यह सदन अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री करन मेहरा, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास तथा श्री नारायण पाल की 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

<u>राष्ट्र–गान</u>

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा,
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 03 बजकर, 38 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून :
दिनांक 10 जुलाई, 2007

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी—क

(देखिये अल्पसूचित प्रश्न संख्या—2 का उत्तर पीछे पृष्ठ—4 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 हेतु मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न का संलग्नक—1

1. मै0 हिमालयन हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट जौलीग्रान्ट, जिला देहरादून।

   मै0 हिमालयन हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट, जौलीग्रान्ट, जिला देहरादून की बिलिंग माह 11/2000 से माह 02/2001 तक एल0एम0वी0—2 टैरिफ के अन्तर्गत की गई जिसको बाद में उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल (ग्रा0), 18—ई0सी0 रोड़, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1 2989 दिनांक 31—03—01 के अनुपालन में एल0एम0वी0—4 टैरिफ के अनुसार संशोधित कर दिया गया एवं इसके बाद 09/2003 तक एल0एम0वी0—4 टैरिफ में ही विद्युत बिल निर्गत किये गये। 09/2003 के बाद आज तक मै0 हिमालयन हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट, जौलीग्रान्ट की बिलिंग आर0टी0एस0—2 (वाणिज्यिक) टैरिफ में की जा रही है।

2. प्रधानाचार्य, महात्मा योगेश्वर, सरस्वती शिशु मन्दिर, मसूरी।
3. प्रधानाचार्य, भवानी बालिका विद्यालय बल्लूपुर, देहरादून।
4. प्रधानाचार्य डी0ए0वी0, स्पेशल विंग, प्रेमनगर, देहरादून।
5. प्रधानाचार्य, गुरू नानक स्कूल, विंग नं0—6, प्रेमनगर, देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, डी0ए.वी, प्रेमनगर, देहरादून।
7. प्रधानाचार्य, गवर्नमेन्ट गर्ल्स स्कूल, कौलागढ़, देहरादून।
8. मैनेजर, गुरू नानक स्कूल विंग नं0—7, प्रेमनगर, देहरादून।
9. प्रधानाचार्य, एम0के0पी0 कॉलेज, न्यू रोड़, देहरादून।
10. प्रधानाचार्य, एम0के0पी0 कॉलेज, न्यू रोड़, देहरादून (हास्टल)।
11. प्रधानाचार्य, यू0सी0एल0आई0 इन्टर कॉलेज, पल्टन बाजार, देहरादून।
12. 9035/12165 मैनेजर बी0एस0वी कॉलेज, काशीपुर।
13. 9036/5206 किसान हायर सेकेण्ड्री कॉलेज, काशीपुर।
14. 9036/19099 प्रधानाचार्य जी0बी0 पन्त इण्टर कालेज, काशीपुर।
15. 9036/31030 उदय राज हिन्दू इण्टर कॉलेज, काशीपुर
16. 9036/33107 सुदामालाल जूनियर हाई स्कूल, काशीपुर।
17. 9036/367196 प्रधानाचार्य उदयराज हिन्दू इण्टर कॉलेज फार आडिटोरियम, काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 विधान सभा/41—25—4—2009—200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो।